संख्या-41/2020-1170/58-2020-49/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई, 2020**

विषयः- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना की परियोजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2020-21 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-154/आर.के.वी.वाई./हाईटेक नर्सरी/2019-20, दि0 15.07.2020, पत्र संख्या-153/आर.के.वी.वाई./हाईटेक नर्सरी/2020-21, दि0 15.07.2020, एवं कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-479/12-3-2020-100(37)/2017टीसी, दि0 07.07.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित "हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना (मिनी सेन्टर आॅफ एक्सीलेंस)" परियोजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य मद में धनराशि रू0 35.10 लाख (अनुदान सं0-11 मंे धनराशि रू0 3.90 लाख एवं अनुदान सं0-83 में धनराशि रू0 31.20 लाख) तथा वर्ष 2019-20 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित उपरोक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 111.443 लाख (अनुदान सं0-11 मंे धनराशि रू0 69.923 लाख एवं अनुदान सं0-83 में धनराशि रू0 41.52 लाख) अर्थात् कुल धनराशि रु0 146.543 लाख (रुपये एक करोड़ छियालिस लाख चैवन हजार तीन सौ मात्र) व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	परियोजना	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक/मद	वर्ष 2020-21 हेतु अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना	11	अनुदान सं0-11, लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के$रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूजीगत योजनायें-(के060/रा040-के+रा0)- **24 वृहद निर्माण कार्य**	6.502	3.90	3.90
2		83	अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040-के$रा0) 0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूँजीगत योजनायें-(के0 60/रा0 40-के+रा0) **24-वृहद निर्माण कार्य**	52.00	31.20	31.20
	योग-			**58.502**	**35.10**	**35.10**

3	हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना	11	अनुदान सं0-11, लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के$रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूजीगत योजनायें-(के060/रा040-के+रा0)- **24 वृहद निर्माण कार्य**	116.54	69.923	69.923
4		83	अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040-के$रा0) 0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूँजीगत योजनायें-(के0 60/रा0 40-के+रा0) **24-वृहद निर्माण कार्य**	69.20	41.52	41.52
	योग-			**185.74**	**111.443**	**111.443**
	महायोग			**244.242**	**146.543**	**146.543**

(रुपये एक करोड़ छियालिस लाख चैवन हजार तीन सौ मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए वित्त नियंत्रक, उद्यान तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम नेट पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(8) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2020-1170(1)/58-2020 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंिषतः-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasamades.up.gov.in